न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 785/2023

अनवान : –

1. प्रेम कंवर (पुत्री स्व0 श्री गणेश सिंह) धर्मपत्नी श्री तेज सिंह आयु 79 वर्ष जाति राजपूत निवासी तीतरी तहसील व जिला नागौर हाल तहसील लाडनू जिला डीडवाना।

– वादीया

बनाम्

1. नरपत सिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री कल्याण सिंह आयु 76 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़ा गांव तहसील गुढ़ा गौड़ जी जिला झुंझनु हाल आबाद 29 श्रीरामपुरा कॉलोनी सीएम हाऊस क सामने सिविल लाईन्स कॉलोनी जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 22/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 व वादिया के प्राकृतिक पिता स्व0 श्री गणेश सिंह है। प्रतिवादी संख्या 1 श्री गणेश सिंह के ज्येष्ठ भ्राता श्री कल्याण सिंह के गोद गये हुए है। रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि पूर्व में जसंवत कंवर पत्नी कल्याण सिंह के नाम दर्ज थी। स्व0 श्रीमति जसवंत कंवर पत्नी कल्याण सिंह ने उक्त वाद भूमि के संबंध में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2000 का निष्पादित कर उपपंजीयक हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 05.07.2000 को पंजीकृत करवाई थी। उक्त वसीयतनामा में स्व जसवंत कवर ने रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि अर्थात 51 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में वादिया व प्रतिवादीया सं[illegible] को अपना वसीयत उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस वसीयत के मुत[illegible] व प्रतिवादी संख्या 1 को 6.762 हैक्ट भूमि के संबंध में वसीयत उत्तराधिकारी घो[illegible]त किया गया था। श्री[illegible] जसवंत कंवर का दिनांक 10.11.2018 को देहान्त हो चुका है। जसवंत कंवर के देहान्त के बाद प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

ने स्वयं को खोलायत पुत्र होना व्यक्त कर उक्त वसीयत भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने नामान्तरण संख्या 3127 दिनांक 06.05.2022 को जरिये उक्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्य 1 ने तत्समय स्व श्रीमति जसवंत कंवर की उक्त वर्णित वसीयत के तथ्य को सहबन प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष प्रकट नही किया तथा तथ्य का ज्ञान होने पर कि उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही हो सका है, प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र भी दिनांक 09.06.2022 को प्रस्तुत किया लेकिन उक्त वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ने इंतकाल दर्ज नही किया। स्व0 श्रीमति जसवंत कंवर की कुल 13.0301 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अकेले के नाम दर्ज होने से वादीया के खातेदारी हको का हनन हो रहा है जबकि वह स्व श्रीमति जसवंत कंवर द्वारा निष्पादित वसीयत के अनुसार उक्त वाद भूमि में 6.2680 हैक्ट की वसीयत उत्तराधिकारी होने से खातेदार है इस आशय की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वह स्व0 जसवन्त कंवर के नाम दर्ज 13.0301 हैक्ट भूमि में से 6.2681 हैक्ट की खातेदार है।

वादीया ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीया का वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद की सभी मदो को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 156/127 प्रदर्श–1, चित्रप्रति वसीयतनामा प्रदर्श–2 ए, मृत्यु प्रमाण पत्र जसवंत कंवर प्रदर्श–3, जमाबंदी रोही मौजा बिरकाली बारानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 156/127 प्रदर्श–4, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 3127 दिनांक 02.05.2022 बहक नरपतसिंह, विरासतन इंतकाल दर्ज करने हेतु तहसीलदार नोहर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार को उक्त इंतकाल के रिव्यु बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादीया के वाद की सभी मदों को स्वीकार करते जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के [illegible] जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि जसवंत कंवर के नाम दर्ज थी। स्व0 श्रीमति जसवंत कंवर पत्नी कल्याण सिंह ने उक्त वाद भूमि के संबंध में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2000 का निष्पादित कर उपपंजीयक हनुमानगढ़ के समक्ष दिनांक 05.07.2000 को पंजीकृत करवाई थी। उक्त वसीयतनामा में स्व जसवंत कवर ने रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि अर्थात 51 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में वादिया व प्रतिवादीया संख्या 1 को अपना वसीयत उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इस वसीयत के मुताबिक वादिया को 6.2681 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 को 6.762 हैक्ट भूमि के संबंध में वसीयत उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। जसंवत कंवर के देहांत के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वाद को विरासन अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया। प्रतिवादी संख्या 1 को वसीयत को ज्ञान होने पर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पर्नवलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज नही है। अगर मुताबिक वसीयत इंतकाल दर्ज किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीया के वाद की सभी मदों को स्वीकार किया जाकर जवाब दावा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 वसीयतनामा से स्पष्ट साबित है कि उक्त वाद भूमि में से वादिया के पक्ष में 6.2681 हैक्ट व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 6.762 हैक्ट भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत उपपंजीयक हनुमानगढ़ से पंजीकृत है। चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 3127 दिनांक 02.05.2022 के मुताबिक उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हुई है। प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र जसवंत कंवर से साबित है कि जसंवत कंवर का दिनांक 10.11.2018 को देहान्त हो चुका है। वादीया का कथन है कि उक्त वाद भूमि का नामान्तरण मुताबिक वसीयत दर्ज नही हुआ है मुताबिक वसीयत उक्त वाद भूमि में से 6.2681 हैक्ट भूमि वादीया के एवं 6.762 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनी थी जबकि प्रतिवादी संख्य 1 के अकेले के नाम उक्त वाद भूमि विरासतन दर्ज हो गयी है। उक्त विरासतन इंतकाल के पुनर्विलोकन प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पेश किया था। वादीया के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया गय की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156/127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301/193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय 62681/193790 हिस्सा का वादीया को एवं 6762/193790 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 785 / 2023

अनवान : –

1. प्रेम कंवर (पुत्री स्व0 श्री गणेश सिंह) धर्मपत्नी श्री तेज सिंह आयु 79 वर्ष जाति राजपूत निवासी तीतरी तहसील व जिला नागौर हाल तहसील लाडनू जिला डीडवाना।

– वादीया

बनाम्

1. नरपत सिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री कल्याण सिंह आयु 76 वर्ष जाति राजपूत निवासी बड़ा गांव तहसील गुढ़ा गौड़ जी जिला झुंझनु हाल आबाद 29 श्रीरामपुरा कॉलोनी सीएम हाऊस क सामने सिविल लाईन्स कॉलोनी जयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 785 सन 2023 निर्णय दिनांक 22.12.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री लालचन्द वर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली तहसील नोहर के खाता संख्या 156 / 127 सम्वत 2074–77 की कुल 19.3790 हैक्ट भूमि में से 130301 / 193790 हिस्सा अर्थात 13.0301 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय 62681 / 193790 हिस्सा भूमि का वादीया को एवं 6762 / 193790 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:41:36 IST
Reason: SelfAttested